

कार्यालय नगर पंचायत जट्टारी (अलीगढ़)
Office- Nagar Panchayat Jattari (Aligarh)

श्री रमेशचन्द पुत्र गेंदा सिंह, पूरनचन्द पुत्र चतर सिंह, सुखवीरी पत्नी जुगेन्द्र सिंह, किशन सिंह पुत्र प्यारे, रामवीर आदि गाटा सं०-108, 293, 282/1, 289, 282/2, 294 मोहल्ला/ग्राम-फाजिलपुर, नांगल कला, जट्टारी कस्बा- जट्टारी तहसील-खैर, जिला- अलीगढ़

संख्या-मीमो/न०पं०जट्टारी/2024-25

दिनांक-24/05/2024

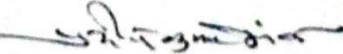
आलेख-पत्र

आपके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र मय प्रार्थना पत्र के बाबत नवीन भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान निर्माण पर स्वीकृत प्रदान करने सम्बन्धी है पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृती प्रदान की जाती है।

1. पृदत्त स्वीकृती एक वर्ष के लिये वैध होगी।
2. जायदाद सम्बन्धी किसी विवाद के पाये जाने पर स्वीकृती स्वतः निरस्त होगी।
3. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान से निकलने वाले नाले परनाले हस्व कायदा खस्सी व ढके होने चाहियें।
4. भवन/कालोनी से निकलने वाले पानी के निकास की व्यवस्था भवन स्वामी को स्वतः अपने स्तर से करनी होगी।
5. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण नियमानुसार लोक निर्माण/सरकारी विभाग की भूमि छोड़कर किया जायेगा।
6. मानचित्र में प्रदर्शित भूखण्ड आबादी घोषित है या नहीं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मानचित्र प्रस्तुतकर्ता का होगा।
7. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान में स्वच्छ जल प्रवाहित शौचालय का ही निर्माण कराना होगा।
8. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
9. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान में किसी प्रकार का प्रक्षेप नहीं डाला जायेगा।
10. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण उसी भूखण्ड पर उतने ही क्षेत्रफल में किये जायेगा जिसकी स्वीकृती प्रदान की गई है।
11. भवन स्वामी को सीढ़ियाँ अपनी ही भूमि पर निकालनी होंगी।
12. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण नगर पंचायत द्वारा निर्मित उपविधि के अधीन कराना होगा।
13. भवन/कालोनी/मार्केट/माल/दुकान का निर्माण लोक निर्माण विभाग/सरकारी भूमि/राष्ट्रीय राज्य मार्ग की सीमा को छोड़कर करना होगा। तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
14. अन्य उपबन्ध उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 के लागू होंगे।
15. मानचित्र की स्वीकृति धारा 80C (आबादी) होने के उपरान्त प्रभावी होगा।
16. निकाय बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्यासा में अन्तिम निर्णय बोर्ड बैठक का होगा।


लिपिक
नगर पंचायत जट्टारी
(अलीगढ़)


अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत जट्टारी
(अलीगढ़)


अध्यक्ष
नगर पंचायत जट्टारी
(अलीगढ़)